

कार्यालय, छात्र कल्याण समाज, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद  
पोस्ट ऑफिस आई0ई0आर0टी0 / हॉलीगेटो / 2442

दिनांक: 04.08.2018

### आवश्यक सूचना

इजी0 डिग्री डिवीजन में अध्ययनरत बी0टेक0 पाठ्यक्रमों के समस्त ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग से प्राप्त करनी है को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2018 है एवं जिसे छात्र को स्वयं भरना है, अन्यथा की स्थिति में छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। आनलाइन आवेदन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखें:-

01. वार्षिक नान रिफण्डेबल बिल धनराशि

62500/- प्रथम वर्ष + लेटरल इन्ट्री

62500/- द्वितीय वर्ष

62500/- तृतीय वर्ष के बो छात्र/छात्रा जिन्होने द्वितीय वर्ष में लेटरल इन्ट्री के तहत प्रवेश लिया था

53600/- तृतीय वर्ष के बो छात्र/छात्रा जिन्होने द्वितीय वर्ष में लेटरल इन्ट्री के तहत प्रवेश लिया था के अतिरिक्त समस्त छात्र/छात्रा

53600/- अन्तिम वर्ष

02. वर्ष 2018–19 के सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरणके छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेंट नम्बर भरना होगा।

03. यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन पत्र भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा। किसी भी पाठ्यक्रम में दूसरी बार छात्र हासा आवेदन का नवीनीकरण ही किया जाय, न कि नवीन आवेदन पत्र छात्र भरे।

04. धनराशि वाले कालम में नहीं रसीद संख्या व राशि भरे जिस रसीद पर अधिकतम राशि दर्शायी गई हो (दो या दो से अधिक रसीद होने पर)।

(महेश चन्द्र)  
नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति  
आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद

त्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले  
संलग्नकों का विवरण

सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्गके छात्र/छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता/पिता (माता/पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 4— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 5— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 6— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 7— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— छात्र/छात्रा के वर्मान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 10— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 11— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 12— छात्र/छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 13— छात्र/छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 14— छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 15— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र/छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 16— छात्र के **आधार कार्ड की** फोटो प्रति।
- 17— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)  
नोडल अधिकारी

सत्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले  
संलग्नकों का विवरण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता / पिता (माता / पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** जाति प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 5— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 6— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 7— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— निर्धारित प्रारूप पर छात्र / छात्रा के माता / पिता (माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 10— छात्र / छात्रा के वर्षमान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 11— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 12— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 13— छात्र / छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 14— छात्र / छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 15— छात्र / छात्रा के माता / पिता (माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 16— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र / छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 17— **आधार कार्ड की** फोटो प्रति ।
- 18— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)  
नोडल अधिकारी

सत्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले  
संलग्नकों का विवरण  
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता/पिता (माता/पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** जाति प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु 31 मार्च 2018 के बाद का निर्गत) तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 5— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 6— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 7— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— निर्धारित प्रारूप पर छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 10— छात्र/छात्रा के वर्मान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 11— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 12— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 13— छात्र/छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 14— छात्र/छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 15— छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 16— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र/छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 17— **आधार कार्ड की** फोटो प्रति ।
- 18— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)  
नोडल अधिकारी





समक्ष

छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा पत्र (रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर)  
(सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए)

निदेशक,  
आई०ई०आर०टी०,  
इलाहाबाद।

मैं (छात्र/छात्रा का नाम) \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
जो ग्राम \_\_\_\_\_ मुहल्ला \_\_\_\_\_ पोस्ट \_\_\_\_\_  
थाना \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_  
का निवासी हूँ निम्नलिखित बयान करता हूँ-

- 1— यह कि मैं ग्राम \_\_\_\_\_ मुहल्ला \_\_\_\_\_ पोस्ट \_\_\_\_\_  
थाना \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_  
का स्थाई निवासी हूँ (आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)।
- 2— यह कि उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में  
\_\_\_\_\_ जाति का हूँ (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है) (केवल  
अनु०जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)।
- 3— यह कि मेरे माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक) की समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक  
आय दो लाख या इससे कम है। ( तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)।
- 4— यह कि सम्प्रति मैं आई०ई०आर०टी० में \_\_\_\_\_ (ब्रान्च का नाम) पाठ्यक्रम में  
\_\_\_\_\_ (प्रथम/द्वितीय/अन्तिम वर्ष) में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था  
ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है।
- 5— यह कि मैंने पिछली परीक्षा \_\_\_\_\_ वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से घोषणा पत्र औचित  
सहित प्रस्तुत है।
- 6— यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
- 7— यह कि मेरा बचत खाता संख्या \_\_\_\_\_ बैंक \_\_\_\_\_  
ब्रान्च \_\_\_\_\_ में खुला हुआ है।
- 8— यह कि संस्थान द्वारा मुझे निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 8 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं, इसमें कोई भी  
तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_

छात्र/छात्रा के माता-पिता (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक) द्वारा देय शपथपत्र  
(सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)

समझ

निदेशक,  
आई0ई0आर0टी0,  
इलाहाबाद।  
मैं श्री/ श्रीमती ——————

पिता/माता श्री/कु0 ——————

शपथपूर्वक

निवासी ——————

निम्नलिखित बयान करता हूँ—

- 1— यह कि मेरी समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक आय रु0 —————— है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण संलग्न है।
- 2— यह कि मेरे पाल्य श्री/कु0 —————— के आवेदन पत्र में संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है।
- 3— यह कि यदि किसी भी प्रकार की जाँच में यहद आय गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा।
- 4— यह कि यदि आवेदन पत्र में संलग्न आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा। यदि ऐसा करने में असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उक्त शपथ पत्र में धारा लगायत 1 से 4 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी जानकारी में हैं, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

छात्र/छात्रा के पिता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————  
पता ——————

दिनांक:—

छात्र/छात्रा के माता-पिता (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक) द्वारा देय शपथपत्र  
(सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)

समझ

निदेशक,  
आई0ई0आर0टी0,  
इलाहाबाद।  
मैं श्री/ श्रीमती ——————

पिता/माता श्री/कु0 ——————

शपथपूर्वक

निवासी ——————

निम्नलिखित बयान करता हूँ—

- 1— यह कि मेरी समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक आय रु0 —————— है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण संलग्न है।
- 2— यह कि मेरे पाल्य श्री/कु0 —————— के आवेदन पत्र में संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है।
- 3— यह कि यदि किसी भी प्रकार की जाँच में यहद आय गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा।
- 4— यह कि यदि आवेदन पत्र में संलग्न आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा। यदि ऐसा करने में असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उक्त शपथ पत्र में धारा लगायत 1 से 4 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी जानकारी में हैं, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

छात्र/छात्रा के पिता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————  
पता ——————

दिनांक:—

**छात्र/छात्रा एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र**  
 (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक \_\_\_\_\_ को

- (1) श्री/कु0 \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष पुत्र/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ जिसे एततपश्चात प्रथम  
 जाति \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ पक्ष कहा गया है।  
 2- निदेशक, आई०ई०आर०टी०, इलाहाबाद जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत  
 विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसे एततपश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया  
 जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजना संचालित  
 है, जिसकी पात्रता सम्बन्धी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2014 में उल्लिखित  
 है, उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं-

- 1- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संरथान में निःशुल्क प्रवेश डत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
 जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक संशोधित नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।  
 2- प्रथम पक्ष संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने के निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं  
 शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा  
 नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।  
 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न  
 करायेगा।  
 4- द्वितीय पक्ष को शुल्क प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रथम पक्ष से संस्था द्वारा एक डेविट एथारिटी लेटर  
 हस्ताक्षरित कराया जायेगा ताकि इस डेविट एथारिटी लेटर के आधार पर प्रथम पक्ष (छात्र) के बैंक एकाउन्ट से  
 धनराशि शिक्षण संस्था के एकाउन्ट में अन्तरित की जा सके।  
 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन  
 करेगा।  
 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो  
 भी हो में प्रतिभाग करेगा।  
 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक  
 नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार) सम्बन्धी यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी  
 स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष हस्ताक्षर.....  
 नाम.....  
 पिता का नाम.....  
 पता.....

साक्षी न0-1  
 हस्ताक्षर.....  
 नाम.....  
 पता.....

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर.....  
 नाम व पद नाम.....  
 आई०ई०आर०टी०, इलाहाबाद।

साक्षी न0-2  
 हस्ताक्षर.....  
 नाम व पद नाम.....  
 आई० ई० आर० टी०, इलाहाबाद।